भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3279
(21 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के अतंर्गत प्रशिक्षण पद्धति

3279. श्री धर्मवीर सिंहः
श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्रीमती शारदा अनिल पटेल:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री रमेश बिन्दः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू- जीकेवाई) के अंतर्गत विशेषकर हरियाणा, गुजरात, बिहार के पाटलिपुत्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य-वार और जिला-वार युवाओं को कौन-कौन से प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं;
(ख) क्या इस संबंध में उनके लिए कोई विशेष शिक्षा परियोजना भी तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद ऐसे युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या ग्रामीण युवाओं को कोई वित्तीय लाभ प्रदान किए जा रहे हैं; और
(ङ) यदि हां, तो विशेषकर बिहार के पाटलिपुत्र सहित लाभार्थियों की राज्य और जिला-वार, संख्या कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत युवाओं को प्रदान किया जा रहा प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति द्वारा अनुमोदित योग्यता पैक पर आधारित है। प्रशिक्षण में डोमेन कौशल, कंप्यूटर कौशल, सॉफ्ट कौशल और अंग्रेजी कौशल में प्रदान किए गए सिद्धांत, व्यावहारिक और ऑन-जॉब प्रशिक्षण शामिल हैं।

(ख) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत कोई विशेष शिक्षा परियोजना तैयार नहीं की गई है।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा किया जाना होता है। पीआईए को किए जाने वाले सभी भुगतानों को कार्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने अर्थात प्रशिक्षित उम्मीदवार की नियुक्ति करने से जुड़े हैं। डीडीयू-जीकेवाई योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कुल प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से न्यूनतम 70% अभ्यर्थियों का नियोजित करना अनिवार्य है। इसके अलावा , नियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य में डीडीयू-जीकेवाई को लागू करने वाले राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा रोजगार मेलों और नियोक्ताओं की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(घ) डीडीयू-जीकेवाई दिशा-निर्देश प्रशिक्षण लागत और मूल्यांकन लागत के अलावा उम्मीदवार को निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं : 1 आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग 2. नियोजन पश्चात सहायता, 3. वर्दी, 4. गैर आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए भोजन एवं परिवहन सुविधा , 5. यात्रा सहायता, 6. रिटेंशन सहायता, 7. कैरियर प्रगति सहायता 8. विदेशों में नियोजित उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा जांच के साथ-साथ काउंसलिंग सहायता। प्रशिक्षु की मोबाइल ट्रैकिंग के लिए योजना के अंतर्गत 12 महीने की अवधि के लिए 50 रुपये प्रति माह की दर से मोबाइल टॉप-अप सहायता देना भी अनुमेय है। ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ङ) डीडीयू-जीकेवाई के लाभार्थियों की जिला-वार संख्या केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-2** में दी गई है।

*****

अनुबंध-1

क्र.सं.	मद	3 महीने (576 घंटे)	6 महीने (1152 घंटे)	9 महीने (1728 घंटे)	12 महीने (2304 घंटे)
	आवासीय/ गैर आवासीय पाठ्यक्रमके लिए सामान्य लागत				
1	प्रति उम्मीदवार कुल प्रशिक्षण लागत				
क	श्रेणी I @ प्रति घंटा 49.00 रु.	28,224.00	56,448.00	84,672.00	112,896.00
ख	श्रेणी II @ प्रति घंटा 42.00 रु.	24,192.00	48,384.00	72,576.00	96,768.00
ग	श्रेणी III @ प्रति घंटा 35.10 रु.	20,217.60	40,435.20	60,652.80	80,870.40
2	**यदि विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं तो क्र. सं. 1 के लिए अतिरिक्त 10% की दर से विशेष क्षेत्र भत्ते।**				
	विशेष क्षेत्रों को यथा रूप में परिभाषित किया गया है:				
	(i) पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा,				
	(ii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड				
	(iii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह				
	(iv) एकीकृत कार्य योजना के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित जिले				
क	श्रेणी I @ प्रति घंटा 49.00 रु.	2,822.40	5,644.80	8,467.20	11,289.60
ख	श्रेणी II @ प्रति घंटा 42.00 रु.	2,419.20	4,838.40	7,257.60	9,676.80
ग	श्रेणी III @ प्रति घंटा 35.10 रु.	2,021.76	4,043.52	6,065.28	8,087.04
3	वर्दी (6 महीने या इससे कम प्रशिक्षण के लिए 1 वर्दी सेट और अधिक महीनों के लिए 2 वर्दी सेट)	1,270	1,270	2,540	2,540
4	**नियोजन पश्चात सहायता (पीआईए के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रदान की गई)**				
क	मूल निवास जिले में (2 महीने के लिए 1270 रुपये प्रति माह)	2,540	2,540	2,540	2,540
ख	मूल निवास राज्य में (3 महीने के लिए 1270 रुपये प्रति माह)	3,810	3,810	3,810	3,810
ग	राज्य के बाहर मूल निवास (6 महीने के लिए 1270 रुपये प्रति माह)	7,620	7,620	7,620	7,620
5	**आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग लागत**				
क	X श्रेणी के शहर में @ 375 रु.प्रति दिन	33,750	67,500	101,250	135,000
ख	वाई श्रेणी के शहर में @ 315 रु.प्रति दिन	28,350	56,700	85,050	113,400
ग	Z श्रेणी के शहर में @ 250 रु.प्रति दिन	22,500	45,000	67,500	90,000
घ	अन्य स्थानों (सभी ग्रामीण क्षेत्रों सहित) @ 220 रु.प्रति दिन	19,800	39,600	59,400	79,200
6	गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रति	11,700	23,400	35,100	46,800

	उम्मीदवार भोजन एवं परिवहन लागत				
7	अधिकतम 4500 रु. प्रति उम्मीदवार या वास्तविक के अनुसार , जो भी कम हो , एक बार की यात्रा लागत ।	4,500	4,500	4,500	4,500
8	**पीआईए को अतिरिक्त प्रोत्साहन**				
क	रिटेंशन सहायता (प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जिसे अधिकतम 60 दिनों के अंतराल के साथ 365 दिनों के लिए लगातार नियोजिन मिला)	3,000	3,000	3,000	3,000
ख	करियर प्रगति (प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जो प्रति माह 15,000 रुपये प्राप्त करता है और प्रशिक्षण लेने के 1 वर्ष के भीतर 3 महीने के लिए नौकरी प्राप्त करता है)	5,000	5,000	5,000	5,000
ग	विदेशों नियोजित उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा जांच के साथ साथ काउंसलिंग सहायता (प्रति उम्मीदवार)	10,000	10,000	10,000	10,000
9	**नियोजन के लिए प्रोत्साहन**				
क	70% - 85% के बीच नियोजन के लिए	3,000	3,000	3,000	3,000
ख	85% से ऊपर नियोजन के लिए	5,000	5,000	5,000	5,000
10	मूल्यांकन और प्रमाणन	1,500	1,500	1,500	1,500
11	12 महीने के लिए 50 रु. प्रति माह के हिसाब से मोबाइल ट्रैकिंग	600	600	600	600

-

अनुबंध -II

शुरुआत से डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजितअभ्यर्थियों की राज्य-वार संख्या (28.02.2023 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	99054	77342
2	अरुणाचल प्रदेश	954	300
3	असम	66748	37041
4	बिहार	70770	35716
5	छत्तीसगढ़	53057	25180
6	गुजरात	22768	13445
7	हरियाणा	37637	29112
8	हिमाचल प्रदेश	9265	3391
9	जम्मू और कश्मीर	66827	41448
10	झारखंड	58073	26544
11	कर्नाटक	49745	31085
12	केरल	66717	37622
13	मध्य प्रदेश	71226	34781
14	महाराष्ट्र	49134	34178
15	मणिपुर	5394	1494
16	मेघालय	4920	2244
17	मिजोरम	1046	704
18	नागालैंड	4892	2509
19	ओडिशा	208416	166347
20	पंजाब	26714	16121
21	राजस्थान	66581	33069
22	सिक्किम	1668	566
23	तमिलनाडु	56010	55211
24	तेलंगाना	59242	46670
25	त्रिपुरा	9251	5092
26	उत्तर प्रदेश	174418	41883
27	उत्तराखंड	13816	5533
28	पश्चिम बंगाल	33668	19258
29	पुदुचेरी	701	246
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	88	30
कुल		**13,88,800**	**8,24,162**

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय के डीडीयूजीकेवाई एमआईएस और ग्रामीण कौशल प्रभाग के रिकॉर्ड